

छत्तीसगढ़ शासन
वित्त विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर
—0—

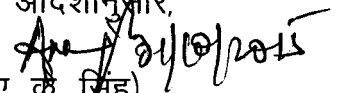
// आदेश //

नया रायपुर, दिनांक 1/10/2015

क्रमांक एफ 1-24/2013/स्था./चार.-समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 29 सितम्बर 2015 द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य वित्त सेवा (राजपत्रित) नियम, 2013 में, दिनांक 12 दिसंबर 2013 की प्रभावशीलता से, संशोधन किया गया है, जिसके फलस्वरूप दिनांक 12 दिसंबर 2013 से राज्य वित्त सेवा संवर्ग के पदों की संख्या में संशोधन किया गया है।

तदनुसार राज्य शासन, एतद्वारा, समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 12 दिसंबर 2013 को, दिनांक 12 दिसंबर 2013 की प्रभावशीलता से, विखंडित करता है।

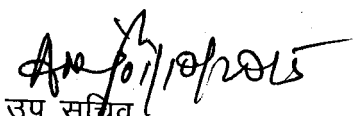
छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार,


(ए. के. सिंह)
उप सचिव

पृष्ठां. क्र.एफ 1-24/2013/स्था./चार
प्रतिलिपि:-

नया रायपुर, दिनांक 1/10/2015

1. महामहिम राज्यपाल महोदय के प्रमुख सचिव, राजभवन, रायपुर
2. अपर मुख्य सचिव, माननीय मुख्य मंत्री, छत्तीसगढ़ नया रायपुर
3. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, नया रायपुर
4. मुख्य सचिव के उप सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, मंत्रालय, नया रायपुर
5. महालेखाकार, छत्तीसगढ़, रायपुर,
6. अध्यक्ष, राजस्व मंडल, बिलासपुर,
7. समस्त संभागायुक्त, राजस्व, छत्तीसगढ़
8. संचालक, कोष, लेखा एवं पेंशन, छत्तीसगढ़, नया रायपुर
9. समस्त कलेक्टर, छत्तीसगढ़
10. समस्त संभागीय संयुक्त संचालक, कोष, लेखा एवं पेंशन, छत्तीसगढ़
11. समस्त जिला कोषालय अधिकारी, छत्तीसगढ़
12. समस्त प्राचार्य, लेखा प्रशिक्षण शाला, छत्तीसगढ़
13. शासन के समस्त विभाग
14. संचालक, वित्तीय प्रबंध एवं सूचना प्रणाली, नया रायपुर को वित्त विभाग की वेबसाईट में अपलोड करने हेतु।


उप सचिव